मूल्य 1 रूपया

# कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | सितंबर, 2019 | अंक 9 | कुल पृष्ठ 8

## सभापति का पत्र :

हमें खुशी हो रही है, स्वतंत्रता दिवस पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि में रसायनों के उपयोग में कमी के लिए एक अपील की।

हालांकि, समय में, प्रधानमंत्री जी को एहसास होगा कि अपील का पालन करने के लिए कृषि प्रणाली प्राप्त करने की तुलना में नए दृष्टिकोणों की घोषणा करना आसान है।

भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान या चीन नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन है, और सुरक्षा प्रतिष्ठान को यह बात समझ नहीं आती है। मेयन या सिंधु घाटी जैसी कई सभ्यताएँ गायब हो गईं या रोम जैसे साम्राज्य बारिश के पैटर्न या लंबे समय तक सूखे के कारण ढह गए।

किसानों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि जलवायु सबसे खराब है। लेकिन नीति निर्धारक इस बात को समझने में नाकाम् हो रहे हैं कि खाद्य प्रणालियां अस्थिरता के एक बिंदु को तोड़ रही हैं। खाद्य उत्पादन पर नीतियां बदलाव के आग्रह को प्रतिबिंबित नहीं कर रही हैं।

वैकल्पिक दृष्टिकोणों को न केवल कृषि–पारिस्थितिकी के सिद्धांतों की ओर एक बदलाव की आवश्यकता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सब्सिडी का पुंनरूत्पादन करके कृषि को बदलना है। कृषि और खाद्य उद्योग यथास्थिति को बदलने की अनुमति नहीं देंगे।

कृषि–व्यवसायों का अनर्गल लालच जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है, और धन के भूखे, सार्वजनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली ने मोने–कॉपिंग और रसायनों के उपयोग द्वारा अधिकतम कृषि पैदावार का एक समान और आसान रास्ता अपनाया है।

मिट्टी को 100 गुना अधिक तेजी से खो दिया जा रहा है, जिससे वे एक दुष्चक्र बना सकते हैं और पूरा कर सकते हैं जो कृषि को और अधिक समस्याग्रस्त बनाता है जबकि

कृषि स्वयं भी जलवायु परिवर्तन को तेज करती है, जिससे पैदावार को अधिकतम करने के आवश्यकता होती है।

नतीजतन, कुछ अनाज फसलों के लाखों एकड़ जमीन पर कॉल लगाए जाते हैं। यह जैव विविधता के संरक्षण के साथ विचरण पर है।

इससे भी बदतर, अधिक उपज देने वाले बीज किसानों द्वारा जल्दी अपनाए जाते हैं, ताकि अब प्रत्येक फसल के प्रकार में 80 प्रतिशत से अधिक फसल उत्पादन मुट्ठी भर किस्मों से होता है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से पारिस्थितिकी प्रणालियों में पारिस्थितिक रूप से अनुपयुक्त फसलों को बढ़ाना वस्तुतः ग्रह को मार रहा है।

नीतियां बदल रही हैं जहां कृषि उत्पादन का समर्थन करने के बजाय, किसान आजीविका को पीएम किसान जैसी योजनाओं का समर्थन करना है।

भोजन की बर्बादी को कम करने और उपभोक्ता व्यवहार और आहार को बदलने के लिए 10 साल के जागरूकता अभियान में भारत को 1000 करोड़ रूपये का निवेश करना चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान जागरूकता अभियान एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

*@ajayvirjakhar*

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

## शासन (संचालन) और कृषि वृद्धि – संस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं और मंडियों को सशक्त करना

'ढांचागत सुधार और संचालन की रूपरेखा' के संबंध में किसानों की आय दोगुनी करने पर कृषि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट, खंड XIII में संस्थाओं, मूलभूत सुविधाों और मंडियों को सशक्त करने पर ध्यान दिया गया है, जो कृषि वृद्धि को संचलित करती हैं।

जनवरी, 2018 में जारी कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति द्वारा तैयार दस्तावेज में किसानों की दशा पर कुछ स्पष्ट बातें कही गई हैं।

वास्तव में इस रिपोर्ट में समस्याओं का समाधान नहीं बताया गया है, बल्कि समस्याओं को उजागर करके कुछ उपाय सुझाऐ गऐ हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने की समिति के अध्यक्ष श्री अशोक दलवाई का कहना है कि, संपूर्ण रिपोर्ट में 14 खंड हैं और उत्पादन के बाद किऐ जाने वाले हस्तक्षेपों और उपायों को शामिल किया गया है, जैसे कृषि लौजिस्टिक, खंड 3 और कृषि विपणन, खंड 4 एवम् इसके साथ उत्पादन संबंधी स्थाई अंक, खंड 5 और 6।

अन्य सभी खंडों में किसानों को स्रोत्र और तकनीकी एवम् ज्ञान उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, तथा विस्तार कार्य एवम् आईसीटी खंड 11 जिनके लिऐ विशेष तर्क प्रस्तुत किऐ गऐ हैं।

प्रमुख रूप से रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि:

- देश के समाज में किसानों का एक विशिष्ट बड़ा व्यवसायिक वर्ग है।
- देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिऐ किसान अनाज और गैर अनाज जिंसों का उत्पादन कर रहे हैं।
- वे अपनी आजीविका के लिऐ खेती करते हैं और स्वनियोजित हैं तथा सरकार को यह राहत पहुंचाते हैं कि एक बडी जनसंख्या के रोजगार के विकल्प के रूप में वे खेती करते हैं।
- किंतु, कृषि, एक जोखिम भरी जैविक प्रकिया है और ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूरा जोखिम ही जोखिम है।

इस रिपोर्ट में कृषि और भारत के 141 मिलियन हैक्टेयर के शुद्ध बुआई क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 55 प्रतिशत भाग पर अनाज उगाया जाता है।

पिछले कई दिशकों से कृषि विविधता के कारण अब बागवानी का भाग 16 प्रतिशत और 512 मिलियन से अधिक पशु पालन करने वालों की संख्या है।

आर्थिक सूचक में यह बताया गया है कि कृषि के पिछे मानव पहलू अर्थात किसान की आय में वृद्धि न तो न्याय संगत है और न ही समतावादि दिखाई पडती है।

इस कारण किसान अधिक उत्पादन और उत्पादकता के बाद भी लगातार परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसिलिऐ किसान सरकारी खरीद और पर्याप्त लाभ की मांग कर रहे हैं।

इस सोच को सच करने के लिऐ विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि किसानों की आय बढाने के लिऐ उन्नत मंडियों का विस्तार किया जाऐ।

सकारात्मक पहलू यह है कि आज भारत अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि एक शुद्ध निर्यात्क देश भी है जो विश्व में 7 वें स्थान पर है।

भारत अनाज (गेहूं और चावल), दालों, फल, सब्जियों, दुध, मीट और समुद्री मछली में विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किंतु अनाज के भंडार में यह कमी देखने को मिलती है की सभी प्रकार का अनाज मनुष्य के पौषक तत्वों को पूरा नहीं करता है, जो कि देश की जनसंख्या के लिऐ एक अति महत्वपूर्ण तत्व है।

अधिकत्म किसानों की दशा कई अन्य पैसा कमाने वाले स्वतंत्र व्यक्तियों से बद्त्तर है। देश का सबसे बडा उद्योग क्षेत्र कृषि है और लोग इसे तब ही अपनाऐ रखेंगे जब इसमें नियमित रूप से लाभ मिलता रहे।

यह देश की बचत और निवेश के लिऐ अति आवश्यक है, क्योंकि वही उद्योग सफल रहता है जिसमें कुछ लाभ मिलता रहे। किंतु लाभ कमाने वाले किसानों की संख्या बहुत कम और चिंताजनक है।

जुलाई, 2012 से जून, 2013 के बीच किसान परिवार की औसत आय केवल रू. 64.26/– थी, जबकि उनका औसत न्यूनतम मासिक खर्चा रू. 6,223/– था। सरकारी निर्धन रेखा से नीचे किसानों का प्रतिशत 22.50 है।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कृषि आर्थिक पद्धति किसी भी अच्छे परिवर्तन के लिऐ ढांचागत कमजोरियों को हटाना ही होगा।

इन कमियों में संचालन सीमाऐं, निति नियंत्रण एवम् अप्रत्याशित परिवर्तन के समक्ष आधारभूत बाधाऐं और जलवायु परिवर्तन से पडने वाला प्रभाव।

इन सभी का एक साथ समाधान करना होगा, न की एक–एक का। हमारा लक्ष्य उत्पादकता श्रेणी में परिवर्तन उन्नत स्रोतों का कुशल उपयोग और किसानों की उपजों का लाभकारी मूल्य देना होना चाहिऐ।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिऐ मूलभूत कमियों और समस्याओं का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मूल ढांचागत मुद्दों में खंडों में भूमि, और अलग–अलग खेत, किसान की परिभाषा – कई निवारण, अनियंत्रित विभिधताऐं – उत्पादन जोखिम और अनिश्चित बाजार, अनियंत्रित पद्धिति, कृषि कारोबार करने में कठिनाई, कृषि नितियां – आय वृद्धि की असमानता, ढांचागत बाधाऐं, बाजार वृद्धि की सीमित्ता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भारतीय कृषि क्षेत्र घिरा पडा है।

समिति द्वारा सुझाई गई रणनीतियों में 4 क्षेत्रों में कमियों पर चिंता व्यक्त की गई है। उत्पादन में स्थिरता, किसानों के उत्पादन की खरीद, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना, कृषि क्षेत्र को एक उद्योग क्षेत्र मानना और इसे वही दर्जा देना जो किसी अन्य उद्योग को दिया जाता है, इत्यादि शामिल है। इनका समाधान अत्यंत आवश्यक है।

रिपोर्ट में भूमि संबंधी मुद्दों को उजागर किया गया है, क्योंकि भूमि किसान की मुख्य संपत्ति होती है और खेती के लिऐ मूल साधन है, किंतु खेतों का आकार कम होकर बहुत छोटा हो चुका है, जिस कारण कृषि लाभदायक नहीं रह गई, और जौखिम भरा कारोबार बन चुका है।

इसके लिऐ लैंड पूलिंग करने के लिऐ आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम 2016 के कानूनों के द्वारा लागू किया जा सकता है।

यह अधिनियम भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और किराऐ पर खेती करने वाले, फसल बंटाई करने वाले किसानों को खेती करने के लिऐ सरकारी सहायता भी प्रदान करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि आय का अनुपात भूमि धारण करने के आकार से सीधा संबंध रखता है (वर्गीकरण जैसे मझौले और छोटे, मध्यम श्रेणी और अर्ध मध्यम श्रेणी तथा बडे किसान)।

सिंचाई से आय का अनुपात 36.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे) से बढकर 70.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा 85.5 प्रतिशत (बडे) किसान। पशुधन से आय का अनुपात 14.8 प्रतिशत (मझैले और छोटे), 11.5 प्रतिशत मध्यम और अर्ध मध्यम किसान तथा बडे किसान का 6.9 प्रतिशत तक कम हो चुका है।

मजदूरी और वेतन से प्राप्त आय का अनुपात भी 37.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 13 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा बडे के लिऐ 3.2 प्रतिशत तक कम हो चुका है।

गैर कृषि व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात कम होकर 7.2 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 4.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) और बडे के लिऐ 4.4 प्रतिशत रह गया है।

समिति यह भी चाहती है कि किसान उत्पादक संघों और किसान उत्पादक कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करे।

इन कंपनियों को पूल्ड भूमि पर खेती करने में महत्व दिया जाऐ और संचालन कार्यों में संबंधित सहायक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का कार्य दिया जाऐ।

इसके साथ ही भूमि चिह्नित करने सहित भूमि के रिकॉर्ड का अंकरूपण, स्थान के आधार पर भूमि के लेनदेन का वास्तविक ऑनलाईन पंजीकरण और ऐसे ही भूमि के मालिकों का संपूर्ण और अद्यतन रिकॉर्ड भी रखा जाऐ।

उन किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाऐ जिनके नाम पर भूमि के दस्तावेज हैं। इसका कारण है कि अधिकतम किसान ऐसे हैं जो किराऐदार के रूप में भूमि पर खेती, फसल की बंटाई पर खेती और भूमि को किराऐ पर देकर खेती करते हैं, जिस कारण उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

समिति का सुझाव है कि, एक किसान की परिभाषा को विस्तारित किया जाऐ ताकि वे भी किसानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभ का उपयोग कर सकें।

इसका अर्थ है कि ऐसी नीति तैयार की जाऐ की भूमि का वास्तिविक मालिक और उस पर कोई भी खेती करने वाला, दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

एक अनुकूल वेब–पोर्टल तैयार करने का सुझाव दिया गया है, ताकि इच्छुक और अलग–अलग किसान अपने किसान होने की वास्तविक स्थिति को अपलोड कर सकें और आवश्यक होने पर इसे अपडेट भी कर सकें।

कृषि क्षेत्र में प्रकृति और उत्पादन जोखिम के साथ–साथ बाजार की अनिश्चिता की प्रमुख भूमिका है। मूल्य और मांग संबंधी सरकारी पूर्व सूचना से किसानों को लाभ मिल सकता है।

रिपोर्ट में सुझाव है कि विपणन और निरिक्षण निदेशालय को मंडियों की सूचना एवम् मूल्य और मांग का पूर्व अनुमान लगाने का दायित्व सौंपा जाऐ।

ऐसा करने से कृषि मूल्य पद्धति अधिक समेकित, एकीकृत एवम् पारदर्शी बन सकती है तथा फस्लोपरांत प्रबंधन की जानकारी दी जाऐ, ताकि वे अपनी फसल का लिया गया ऋण चुका सकें अथवा उसके बदले में ऋण ले सकें।

किंतु जहां भी आवश्यक हो मूल्यों के उतार चढाव को सही करने के लिऐ लक्ष्य निर्धारित करके आयात को नियंत्रित किया जाऐ।

विशेष जिंस का मूल्य अथवा उत्पादन के मानदंडों को भी निर्धारित करना आवश्यक है ताकि कृषि जिंसों के आयातक उस मांग के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें।

इसमें अनुरोध किया गया है कि निर्यात को केवल मूल्य नियंत्रण तंत्र के रूप में ही प्रयोग न किया जाऐ बल्कि कृषि वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार नियत किया जाऐ।

बाधक नितियों को सुगम करने की आवश्यकता है। इससे किसानों को उपकरणों का चयन और उत्पादन की बिक्री के लिऐ अलग–अलग विकल्प खोजने में सहायता मिलेगी।

वास्तव में कृषि उत्पादन प्रणाली पर बाजार की मांग और अन्य आवश्यकताओं पर कुछ ही लोगों का कब्जा है इस कारण किसानों के लिऐ यह सुनिशचित किया जाऐ कि वे उपकरणों का चयन उत्तम गुणवत्ता और सस्ते मूल्य पर करने के लिऐ स्वतंत्र हों।

बीजों की चैन, उत्पादन से आपूर्ति तक और नई किस्मों को विकसित करने के लिऐ उदारीकरण किया जाऐ, जिसके लिऐ भिन्न एजेंसियों को विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन करने की जिम्मेवारी सौंपी जाऐ जो यह सुनिशचित कर सकें की किसानों के लिऐ आवश्यक फसलों के बीजों और किस्मों की सही मात्रा उपलब्ध है।

कृषि सहकारिता एवम् किसान कल्याण विभाग विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को ध्यान में रखता है, किंतु राज्य सरकारों को उत्पादन मौसम से लगभग 2 वर्ष पहले अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिऐ और अपनी मांगों को पहले ही विभाग को भेज देना चाहिऐ।

कृषि को सुधार की प्रकिया के अंतर्गत और इसे एक लाभकारी उद्योग बनाने के लिऐ कई ऐसे उपाय करने होंगे, जिनसे कृषि आय में वृद्धि हो, निशचित समय में कार्यों की निगरानी

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 सितंबर, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, सितंबर 2019

हो और कृषि जिंसों की सारणी इस ढंग से तैयार की जाऐ ताकि मांग को पूरा किया जा सके और किसानों को भी उचित मूल्य मिले ताकि किसान भी उसी के अनुसार उत्पादन और विपणन निर्णय कर सके।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

## शोक समाचार

भारत कृषक समाज श्री नारायण ओले पाटिल जी, पूर्व–गर्विनिंग बॉडी सदस्य, भारत कृषक समाज के 4 अगस्त, 2019 को अकोला, (महाराष्ट्र) में हुऐ दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। वह भारत कृषक समाज के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, वह कृषक समुदाय के एक समर्पित संगठनकर्ता थे और अपने साथी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिऐ एक मार्गदर्शक और सलाह प्रदान करने के लिऐ हमेशा उपलब्ध रहते थे।

हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति मिले तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।